

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 12/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/44

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड, कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020		1. श्रीमति कमली देवी पत्नी श्री नाथू, जाति गिंवारीया, निवासी भीढासरी तहसील लाडनूं। 2. श्री नाथू एन गिंवारीया पुत्र श्री बजरंगलाल, जाति गिंवारीया, निवासी भीढासरी, तहसील लाडनूं। 3. पवन गिंवारीया पुत्र श्री नाथू, जाति गिंवारीया, निवासी भीढासरी तहसील लाडनूं। 4. श्री रतनलाल पुत्र श्री मदनलाल, निवासी 040, आथूणा बास सारडी, तहसील लाडनूं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित
प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :-

1. श्री नागपाल सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

—:आदेश:—

दिनांक: 08.04.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 6,00,000/- (अक्षरे छः लाख रुपये मात्र) दिनांक 30.09.2018 व रुपये 3,00,000 (तीन लाख रुपये मात्र) दिनांक 11.09.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- श्रीमति कमली देवी पत्नी श्री नाथू मालिक सम्पत्ति मिसल नम्बर 02/2003 आवासिय/वाणिज्य अवस्थित पट्टा संख्या 03 न्यू कॉलोनी सारडी विल्ला भीढासरी तहसील लाडनूं जिला डीडवाना-कुचामन में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 7991 वर्गफुट अर्थात् 887.88 वर्गगज है तथा आस पडौस निम्न है- उत्तर में :- फेफाराम नायक का मकान, दक्षिण में :- शंकरलाल मेघवाल का मकान, पूर्व में:- आम रास्ता व निकाल पैसार, पश्चिम में:- महावीरसिंह दरोगा का मकान, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 06.07.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 8,04,856/- (अक्षरे आठ लाख चार हजार आठ सौ छप्पन रुपये मात्र) दिनांक 07.04.2024 तक शेष देय व दिनांक 07.04.2024 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान वकाया निकलते है।

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 09.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 8,04,856/- (अक्षरे आठ लाख चार हजार आठ सौ छप्पन रूपये मात्र) दिनांक 07.04.2024 तक शेष देय व दिनांक 07.04.2024 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त पत्रावली में लोन स्टेटमेन्ट के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। आवास फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा ऋणी अप्रार्थीगण के विरुद्ध 8,04,856/- रूपये की राशि बकाया बताये गये। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी द्वारा कितनी राशि का ऋण लिया गया। अप्रार्थी ने ब्याज सहित कितनी राशि जमा करवा दी। उक्त तथ्य से भी न्यायालय हाजा को अवगत नहीं करवाया।

प्रार्थी बैंक की ओर से श्री रविदत्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। श्री रविदत्त के शपथ पत्र में विवरण अपूर्ण है। श्री रविदत्त के शपथ पत्र में उनके संबंध में किसी प्रकार कि स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उपरोक्त कमियों की पूर्ति करते हुए नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(पुखराज सन, IAS)
जिला कलेक्टर, डी.डी.डवामा-कुचामन
जिला मजिस्ट्रेट